| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए |
|---|---|---|
| 28-04-25 | 16-05-25 | |
| 16.05.2025 | पत्रावली आज पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने से वकील वादी ने वाद पत्र पर आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। जिस पर बहस वकील वादी एकपक्षीय सुनी गई। वास्ते निर्णय/आदेश पत्रावली दिनांक 26.05.2025 को पेश हो।<br><br>( अनिल कुमार )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) | |
| 26.05.2025 | पत्रावली आज वास्ते निर्णय/आदेश हेतु पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। वादपत्र में बहस वकील वादी पूर्व में सुनी जा चुकी है। वकील वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र बाबत दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है। निर्णयानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को र[illegible]र्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर आदेश जारी हो। [illegible] करार देकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो। निर्णय खुले न्या[illegible]य मे सुनाया गया।<br><br>( अनिल कुमार )<br>उपखण्ड अधिकारी<br>श्रीमाधोपुर (सीकर) | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर जिला सीकर
## पीठासीन अधिकारी – श्री अनिल कुमार (RAS)

| प्रकरण संख्या | जीसीएमएस | दायर दिनांक | निर्णय दिनांक |
|---|---|---|---|
| 09 / 2023 | 2023 / 025 | 13.01.2023 | 26.05.2025 |

### उनवान प्रकरण

1. बजरंग लाल जांगिड़ पुत्र मोती राम आयु 60 साल जाति खाती निवासी जांगीड़ों का मौहल्ला, रतनपुरा तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

–वादी–

बनाम्

भूमिधारी जरिये तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0)

––प्रतिवादी––

उपस्थित :–

श्री कमलेश कुमार शर्मा, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से।

अधिकारी उपखण्ड श्रीमाधोपुर (सीकर)

वाद पत्र बाबत् दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड
(अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्त. अधि. 1955)

### –:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादी इस आशय से प्रस्तुत किया है कि [illegible] खसरा नम्बर 2044 रकबा 0.8900 हैक्टर, 2052 रकबा 0.88[illegible] हैक्टर, 2053 [illegible] 0.8600 हैक्टर, 3630 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

0.0500 हैक्टर, 3632 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.76 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) मे वादी 1/25 हिस्से का काबिज खातेदार काश्तकार है। राजस्व कर्मचारियों ने सहवन से राजस्व रिकार्ड मे वादी का नाम शंकर पुत्र मोती अंकित कर दिया जो गलत है। जबकि वादी का सही नाम बजरंगलाल पुत्र मोतराम है जो दुरूस्तनीय है। वादी का सही नाम बजरंगलाल पुत्र मोतीराम है। वादी के राशनकार्ड, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पेनकार्ड, पासपोर्ट भामाशाह कार्ड आदि में बजरंगलाल पुत्र मोतीराम अंकित है जो सही है। राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम शंकर पुत्र मोतीराम की जगह बजरंग लाल जांगिड पुत्र मोतीराम अंकित होना है। वादी को राजस्व रिकार्ड मे अपना नाम बजरंगलाल जांगिड़ पुत्र मोतीराम के स्थान पर शंकर पुत्र मोती होने की जानकारी हुई तब वादी ने राजस्व कर्मचारियों को इस बाबत कहा तो उन्होंने दिनांक 10.01.2023 को कोर्ट में दावा पेश करने की कही जाने पर दावा पेश किया गया है। राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम सही अंकित नहीं होने से वादी को सख्त हकतलफी है। राज्य सरकार द्वारा खातेदारों को दी जाने वाली सुविधाओं से भी वादी को वंचित रहना पडता है। वादी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बजरंगलाल पुत्र मोतीराम दुरूस्त करवाने का अधिकारी है तथा उक्तानुसार दुरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम शंकर पुत्र मोती के स्थान पर बजरंगलाल जांगिड पुत्र मोतीराम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि घोषणा बाबत दुरूस्ती इस अमर की पारित की जावे कि भूमि खसरा नम्बर 2044 रकबा 0.8900 हैक्टर, 2052 रकबा 0.8800 हैक्टर, 2053 रकबा 0.8600 हैक्टर, 3630 रकबा 0.0500 हैक्टर, 3632 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.76 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के राजस्व रिकार्ड मे 1/25 हिस्से में दर्ज वादी का [illegible] पर बजरंगलाल जांगिड पुत्र मोतीराम दर्ज किये जाने का [illegible] रिकार्ड दुरूस्त करने का आदेश प्रतिवादी को दिये जाने का [illegible] मे किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

इस पर वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये साधारण तरीके से सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी की तामील असालतन हो जाने के बावजूद हाजिर अदालत नही आने पर प्रतिवादी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। वादपत्र में अंकित तथ्यो के सम्बन्ध मे वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट तहसीलदार श्रीमाधोपुर से चाही गई। जिसकी पालना में तहसीलदार श्रीमाधोपुर के पत्रांक 303/भू.अ./2023 दिनांक 16.02.2023 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हुई। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने पटवारी हल्का नाथूसर से जॉच करवाई जाकर अपनी जॉच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि वादग्रस्त आराजी भूमि खसरा नम्बर 2044, 2052, 2053, 3630, 3632 कुल किता 5 कुल रकबा 2.76 हैक्टर में शंकर मोती हिस्सा 1/25 जाति जांगिड़ सा. देह खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में अपना नाम बजरंगलाल पुत्र मोती दर्ज करना चाहता है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, पेन कार्ड, पासपोर्ट, जन आधार कार्ड, मतदाता पहचान पत्र में बजरंग लाल पुत्र मोती अंकित है। मजमे-ए-आम में पूछताछ करने पर लोगों ने बजरंगलाल व शंकर दोनों एक ही व्यक्ति होना बताया गया। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में शंकर पुत्र मोती की जगह बजरंग लाल उर्फ शंकर पुत्र मोतीराम जाति जांगिड़ राजस्व रिकार्ड में शुद्ध किये जाने की अभिशषा की गई है। साक्ष्य वादी में वादी बजरंग लाल जांगिड़ का मुख्य परीक्षण में शपथ पत्र व वादी साक्ष्य गवाह में छीतरमल पुत्र नानूराम जाति खाती के लिखितशुदा शपथ पत्र पेश किये गये। प्रकरण में वकील वादी ने वाद पत्र में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो जाने व साक्ष्य वादी में शपथ पत्र पेश हो जाने से प्रकरण में आज ही बहस सुनी जाकर वादपत्र का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

हमनें वकील वादी की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वकील वादी द्वारा की गई बहस पर सगौर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य [illegible] चौसाला आधार जमाबंदी

Signature Not Verified
Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

सम्वत 2074–2077 की जमाबंदी, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आयकर विभाग का पैनकार्ड, भारत सरकार द्वारा जारी पासपोर्ट की फोटोप्रति, भामाशाह कार्ड, मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रति, साक्ष्य वादी मे प्रस्तुत वादी का मुख्य परीक्षण मे शपथ पत्र व वादी साक्ष्य गवाह मे छीतरमल का लिखितशुदा शपथ पत्र, पटवारी हल्का नाथूसर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा भिजवाई गई अभिशंषा रिपोर्ट इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वादपत्र मे अंकित कृषि भूमियों की खातेदारी मे वादी का नाम शंकर पुत्र मोती हिस्सा 1/25 जाति जांगिड सा. देह खातेदार के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड होना प्रकट होता है, जबकि अन्य दस्तावेजात यथा मतदाता सूचि, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता फोटो पहचान पत्र, परिवार राशन कार्ड की प्रति, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, आयकर विभाग द्वारा जारी पैन कार्ड, पासपोर्ट इत्यादि में वादी का नाम बजरंग लाल जांगिड़ पुत्र मोती अंकित होना प्रकट होता है। वादी बजरगलाल व शंकर दोनों एक ही व्यक्ति होना पटवारी हल्का नाथूसर की रिपोर्ट से प्रकट होता है। अतः ऐसी स्थिति में वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र को न्यायहित मे स्वीकार किया जाकर वादी का नाम शंकर पुत्र मोती के स्थान पर बजरंग लाल जांगिड उर्फ शंकर पुत्र मोतीराम जाति जांगिड शुद्ध किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित प्रतित होता हैं।

**–:: निर्णयात्मक आदेश ::–**

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested

अतः उप[illegible] बाबत दुरूस्ती राजस्व रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा घोषणा [illegible] जाती है कि भूमि खसरा नम्बर

2044 रकबा 0.8900 हैक्टर, 2052 रकबा 0.8800 हैक्टर, 2053 रकबा 0.8600 हैक्टर, 3630 रकबा 0.0500 हैक्टर, 3632 रकबा 0.08 हैक्टर कुल किता 5 कुल रकबा 2.76 हैक्टर अवस्थित तन् ग्राम रतनपुरा पटवार हल्का नाथूसर तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर (राज0) के राजस्व रिकार्ड मे 1/25 हिस्से में दर्ज वादी का नाम शंकर पुत्र मोती के स्थान पर बजरंगलाल जांगिड उर्फ शंकर पुत्र मोतीराम घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को खातेदारी दुरूस्त किये जाने की स्वीकृति दी जाती है। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावें। इसी अनुसार पर्चा डिकी जारी हों। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल कुमार)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 26.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anil Kumar
Date: 2025.08.27 12:56:31 IST
Reason: SelfAttested